स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 36, दिनांक 22–01–2025

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कई राज्यों के विभिन्न टोल प्लाजा पर फास्ट टैग रहित वाहनों से अतिरिक्त सहवर्ती/समानन्तर साफ्टवेयर के माध्यम से धोखाधड़ी करके लगभग करोड़ों रूपये का टोल टैक्स गबन कर राष्ट्रीय राजस्व क्षति पहुचाने वाले गैंग के 03 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 21–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कई राज्यों के विभिन्न टोल प्लाजा पर फास्ट टैग रहित वाहनों से समानन्तर साफ्टवेयर के माध्यम से धोखाधड़ी करके लगभग करोड़ों रूपये का टोल टैक्स का गबन कर राष्ट्रीय राजस्व की क्षति पहुचाने वाले गैंग के 03 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– आलोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 अरूण कुमार सिंह निवासी फरीदाबाद सिद्दीकपुर, आईटीआई, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर। हाल पता एस0एस0आर0 टावर–116(सी) हरहुआ, काजीसराय, वाराणसी।

2– मनीष मिश्रा पुत्र मोहन लाल मिश्रा निवासी कंजवार थाना मझौली, सिधी म0प्र0

3– राजीव कुमार मिश्र पुत्र बृजेश मिश्रा निवासी परानीपुर, थाना मेजा, प्रयागराज।

बरामदगी–

1– 02 लैपटाप
2– 01 अदद प्रिन्टर
3– 05 अदद मोबाइल फोन
4– 01 अदद वाहन मारूति एक्सएल–6
5– रूपये 19,580/– नकद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

शिवगुलाम टोल प्लाजा अतरौला थानाक्षेत्र लालगंज जनपद मीरजापुर। दिनांक 22–01–2025 समय 03.50 प्रातः बजे।

विगत काफी दिनों से एसटीएफ उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गो के विभिन्न टोल प्लाजा पर फास्ट टैग रहित अथवा फास्ट टैग एकाउण्ट में पर्याप्त धनराशि न होने पर उन वाहनों से टोल प्लाजा के बूथ कम्प्यूटर में एनएचएआई के साफ्टवेयर/सर्वर के अतिरिक्त अलग से साफ्टवेयर के माध्यम से धोखाधड़ी करके टोल टैक्स गबन करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ वाराणसी एवं श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि एनएचएआई के साफ्टवेयर/सर्वर के अतिरिक्त अलग से साफ्टवेयर बनाने एवं इंस्टाल करने वाला व्यक्ति के वाराणसी में होने की सूचना पर निरीक्षक श्री दीपक सिंह, निरीक्षक रिजवान, निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह मु0आ0 रणविजय तिवारी, आलोक राय, अजय जायसवाल, अनिरूद्ध सुवन त्रिपाठी, आरक्षी अकित सिंह व पुष्प

कुमार की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाबतपुर एयरपोर्ट के पास से आलोक कुमार सिंह को दिनांक 21–01–2025 को सायं 16.00 बजे पूछताछ हेतु लाया गया।

आलोक कुमार सिंह ने बताया कि वह एमसीए किया है, उसे साफ्टवेयर बनाने की अच्छी जानकारी है। इसके पूर्व में टोल प्लाजा पर काम भी कर चुका है। रिद्धि–सिद्धि कम्पनी के साथ पूर्व में सावन्त और सुखान्तु के साथ काम किया है। वहीं से टोल प्लाजा का ठेका लेने वाले कम्पनियों/फर्मो के सम्पर्क में आया। उसे यह पता है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग अनिवार्य है। जो वाहन बिना फास्ट टैग के टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उनसे पेनाल्टी के रूप में दोगुना टोल टैक्स वसूला जाता है। बिना फास्ट टैग वाले वाहनों से दोगुना शुल्क वसूली का गबन करने के उद्देश्य से टोल प्लाजा मालिको/प्रबन्धको की मिलीभगत से आलोक कुमार सिंह ने एक ऐसा साफ्टवेयर बनाया जो टोल प्लाजा के किसी एक बूथ पर लगे सिस्टम जिसमें एनएचएआई का साफ्टवेयर लगा रहता है। उसी में टोल पर काम करने वाले आईटी कर्मियों की मिलीभगत से विभिन्न माध्यमों (आनलाईन अथवा आफ लाईन) से साफ्टवेयर इंस्टाल कर देता है। जिसका सीधा आनलाईन एक्सेस इसके निजी लैपटाप से रहता है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले फास्ट टैग रहित वाहनों से लिए जाने वाले दोगुना टोल शुल्क आलोक सिंह द्वारा बनाये गये साफ्टवेयर के माध्यम से वसूला जाता है। उसकी प्रिन्ट पर्ची एनएचएआई के साफ्टवेयर के समान ही रहती है। प्रत्येक टोल/बूथ/ट्रान्जेक्शन का विवरण आलोक सिंह के लैपटाप में प्रदर्शित होता है। नियमानुसार फास्ट टैग रहित वाहनों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स का 50 प्रतिशत एनएचएआई के खाते में टोल प्लाजा द्वारा जमा करना होता है। किन्तु आलोक सिंह द्वारा इंस्टाल किये गये उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से टोल प्लाजा मालिको/प्रबन्धको द्वारा बिना फास्ट टैग वाले वाहनों से वसूली गयी धनराशि का गबन कर लिया जाता है। उक्त अवैध वसूली/गबन के वाहन को वाहन शुल्क से मुक्त (एक्जेम्प्टेड) श्रेणी दिखाकर वाहन को जाने दिया जाता है। बिना फास्ट टैग वाले वाहनों से वसूले गये टोल टैक्स की औसतन 05 प्रतिशत धनराशि एनएचएआई के असली साफ्टवेयर से वसूली जाती है। जिससे सामान्य रूप से किसी को शक न हो कि फास्ट टैग रहित वाहनों का टोल टैक्स एनएचएआई के खाते में नहीं जा रहा है। गबन की उक्त धनराशि को टोल प्लाजा मालिको/प्रबन्धको द्वारा टोल प्लाजा के आईटी कर्मियों, अन्य कर्मियों एवं स्वयं तथा आलोक सिंह व उसके साथियों के बीच अवैध रूप से बॉटकर लाभ लिया जाता है। आलोक सिंह ने यह भी बताया कि उसके साथी सावन्त एवं सुखान्तु की देखरेख में देश के लगभग 200 से अधिक टोल प्लाजा पर इस तरह का साफ्टवेयर इंस्टाल करके टोल टैक्स का गबन किया जा रहा है। आलोक सिंह ने 42 टोल प्लाजा पर अपना साफ्टवेयर इंस्टाल किया है और उससे प्राप्त होने वाले धनराशि स्वयं, परिवारजन एवं अपने ससुर के बैंक खाता/वालेट में आनलाईन/आफलाइन प्राप्त करता है।

आलोक ने यह भी बताया कि विगत दो वर्षो से यह कार्य कर रहा है। अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा लालगंज, मीरजापुर पर इंस्टाल किये गये उक्त साफ्टवेयर से प्रतिदिन औसतन 45,000/–रूपये का टोल टैक्स गबन पाया गया। अन्य टोल प्लाजा के बारे में छानबीन की जा रही है। आलोक सिंह से प्राप्त जानकारी पर अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा लालगंज मीरजापुर से बिना फास्ट टैग वाले वाहनों से वसूली कर फोन के माध्यम से टोल पर्ची निकालने वाले कर्मी मनीष मिश्रा एवं टोल मैनेजर राजीव कुमार मिश्र को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई। अन्य तथ्यों के बारे में छानबीन की जा रही है।

अभियुक्त आलोक सिंह द्वारा एनएचएआई सर्वर के अतिरिक्त जिन टोल प्लाजा पर अलग से साफ्टवेयर इंस्टाल किया गया है, उनकी सूची निम्नवत हैः–

1– हर्रो टोल प्लाज प्रयागराज उ0प्र0
2– मुंगारी टोल प्लाजा प्रयागजराज उ0प्र0
3– उमापुर टोल प्लाजा प्रयागजराज उ0प्र0
4– अन्दी टोल प्लाजा लोहरा, आजमगढ उ0प्र0 (ए0के0सीसी0 कम्पनी)

5— बागपत टोल प्लाजा बागपत उ0प्र0(ए0के0सीसी0 कम्पनी)
6— फरीदपुर टोल प्लाजा बरेली उ0प्र0
7— पत्नीप्रतापपुर टोल प्लाजा शामली उ0प्र0
8— अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा मीरजापुर उ0प्र0
9— नैनसार टोल प्लाजा गोरखपुर उ0प्र0
10— चिकली टोल प्लाजा मध्यप्रदेश
11— जंगाबानी टोल प्लाजा मध्य प्रदेश
12— मोहतारा टोल प्लाजा मध्य प्रदेश (ए0के0सीसी0 कम्पनी)
13— शालीबाडा टोल प्लाजा मध्य प्रदेश।
14— शहडोल टोल प्लाजा मध्य प्रदेश
15— गहरा टोल प्लाजा मध्यप्रदेश
16— फुलैरा टोल प्लाजा जयपुर राजस्थान
17— कादीशहना टोल प्लाजा राजस्थान (ए0के0सीसी0 कम्पनी)
18— शाहपुर टोल प्लाजा राजस्थान
19— शाउली टोल प्लाजा राजस्थान कम्पनी एनुवेजन
20— मदनपुर टोल प्लाजा आसाम कम्पनी आरके जैन
21— बालाचेरा टोल प्लाजा आसाम
22— भोजपुरी टोल प्लाजा छत्तीसगढ़ कम्पनी एकेसीसी
23— महराजपुर टोल प्लाजा छत्तीसगढ।
24— मुदियापारा टोला प्लाजा छत्तीसगढ़।
25— कुम्हारी टोल प्लाजा दूर्ग छ0ग0।
26— वन टोल प्लाजा जम्मू
27— दशरखेड टोल प्लाजा महराष्ट्र
28— खानी बडे टोल प्लाजा बेलबाडी महराष्ट्र
29— मोखा टोल प्लाजा गुजरात कम्पनी एकेसीसी
30— रोहिसा टोल प्लाजा गुजरात कम्पनी एकेसीसी
31— ओखा मण्डी टोल प्लाजा गुजरात
32— कुचाडी टोल प्लाजा गुजरात
33— नवासारी टोल प्लाजा झारखण्ड
34— तुरूप टोल प्लाजा झारखण्ड कम्पनी एकेसीसी
35— तण्ड बलीधा टोल प्लाजा झारखण्ड
36— धुलाल टोल प्लाजा पंजाब
37— जिघा टोल प्लाजा पंजाब कम्पनी एकेसीसी
38— गोबारी टोल प्लाजा पश्चिम बंगाल
39— पश्चिम मदाती टोल प्लाजा पश्चिम बंगाल
40— कदली गढ़ टोल प्लाजा उडीसा
41— सनवारा टोल प्लाजा हिमाचल प्रदेश।
42— जनगॉव टोल प्लाजा तेलंगाना।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना—लालगंज, जनपद मीरजापुर में मु0अ0सं0—17/2025 धारा—316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।